

स्पष्टीकरण

विषय- प्रोपर्टी स्टेटमेन्ट समय से प्रेषित न किये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

माननीय महोदय सादर अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा ज्वाइनिंग के समय वर्ष 2017 का प्रोपर्टी स्टेटमेन्ट पूर्व में भेज दिया गया था और सत्र 2017-18-19-20 का प्रोपर्टी स्टेटमेन्ट ई-पोर्टल पर प्रार्थिनी द्वारा भेजा गया था परन्तु सहवन त्रुटिवश सत्र के स्थान पर ज्वाइनिंग के समय का कालॅम भर दिया गया, जिस कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय से अपना प्रोपर्टी स्टेटमेन्ट नहीं भेजा जा सका। अधोहस्ताक्षरी द्वारा जो भी त्रुटि हुई है वह सहवन त्रुटिवश हुई है।

अतः माननीय महोदय से अपुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी की उक्त त्रुटि को क्षमा करने की कृपा करे। अधोहस्ताक्षरी भविष्य में पुनः ऐसी त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं करेगी।

सादर।

भवदीया,


(प्रीति भूषण)

दिनांक: 01.08.2024

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कोर्ट सं०-5, गाजियाबाद।

जे०ओ० कोड-UP02353